RTI/Speed post

अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/77/2016-17

20 सितंबर, 2016

श्री पी.के. पाण्डेय
अनु सचिव एवं जनसूचना अधिकारी,
मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
मुख्य सचिव कार्यालय, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश शासन।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

श्रीमती मुन्नी चौरसिया पत्नी श्री मुन्ना उर्फ अरविन्द कुमार चौरसिया निवासी विशुनपुर कलां, थाना रामपुर कारखाना जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश का 13.09.2016 का पत्र 16.09.2016 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने 10/- रूपये का पो.आ. संख्या 36एफ 753915 संलग्न कर अपने 08.06.2016 को इस सचिवालय को प्रेषित आवेदन जोकि इस सचिवालय में 17.06.2016 को प्राप्त हुआ था तथा जिसे 22.06.2016 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को अग्रसारित किया गया था (प्रति संलग्न), पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही है चूंकि पत्र की विषय-वस्तु उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है। अतः इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हंस्तातरित किया जा रहा है। कृपया आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-
श्रीमती मुन्नी चौरसिया पत्नी श्री मुन्ना उर्फ अरविन्द कुमार चौरसिया निवासी विशुनपुर कलां, थाना रामपुर कारखाना जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश - कृपया अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त जनसूचना अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करें।

हुरबी शकील

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

O/C

KU No. 77.

Vice President's Secretariat
Dy. No. 576
Date 16/9/16
New Delhi

सेवा में,

श्रीमान हामिद अन्सारी महोदय

उप राष्ट्रपति

भारत सरकार,नई दिल्ली

विषय– दरखास्त अन्तर्गत धारा–5 सूचनाधिकार अधिनियम।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थिनी आपके श्रीमान हामीद अन्सारी जी उपराष्ट्रपति भारत सरकार नई दिल्ली से निम्नलिखित सूचना प्राप्त करना चाहती हूँ। सूचना हेतु वांछित शुल्क भी संलग्न कर रही हूँ।

1– यह कि श्रीमान को दिनांक 08–06–2016 को अरविन्द चौरसिया उर्फ मुन्ना चौरसिया पुत्र श्री ह्रदयाशंकर चौरसिया दूसरी शादी के सन्दर्भ में मैने आपको एक पत्र प्रेषित किया था। उसमें क्या कार्यवाही हुई है।

कृपया इसकी सूचना मुझें उपलब्ध कराने की कृपा करे।

पोस्टल आर्डर संख्या– 36एफ 753915

दिनांक 13/9/2016

प्रार्थिनी

मुन्नी चौरसिया

(मुन्नी चौरसिया)

ग्राम–विशुनपुर कलां,

पोस्ट–भीखमपुर

थाना–रामपुर कारखना

जिला–देवरिया

सेवा में,

श्रीमान् हामिद अंसारी महोदय,
उप राष्ट्रपति,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

महोदय,

निवेदन है कि हम प्रार्थिनी का मायका ग्राम विशुनपुरकला, थाना–रामपुर कारखाना, जिला–देवरिया है तथा हमारी शादी मुन्ना उर्फ अरविन्द कुमार चौरसिया पुत्र हृदयशंकर चौरसिया ग्राम–रेवली, थाना–लार, जिला–देवरिया हाल मुकाम कृष्णा नगर, थाना–सम्पूर्णनगर, जिला–लखीमपुर खीरी के साथ 24.06.2011 को सम्पन्न हुआ।

उक्त मुन्ना उर्फ अरविन्द कुमार चौरसिया एवं उनके पिता व परिवार वालों के मांग पर हमारे माता–पिता ने *उपहार स्वरूप रू0 4 लाख नगद व करीब रू0 2 लाख का घर–गृहस्ती का सामान दिये थे।*

मुन्ना उर्फ अरविन्द कुमार चौरसिया इस समय एस0एस0बी0 बटालियन न0–62 में कांटेबल/जी0डी0 पद पर जिला–श्रावस्ती में तैनात है। इस समय असम में डियूटी पर है।

उपरोक्त मुन्ना उर्फ अरविन्द कुमार चौरसिया एवं उसके परिवार वाले हमे और दहेज के लिए मार–पीट व प्रताड़ित कर हमारा सभी स्त्री धन हमसे छीन व लेकर रख लिये और मारपीट कर दिनांक 11.10.2012 को हमारे मायके लाकर छोड़ दिये। हमने दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा व भरण–पोषण का वाद दाखिल किया जो अलग–अलग देवरिया न्यायालय में विचाराधीन है। घरेलू वाद में रू0 2,000/– माहवार हमें उस से पाने का आदेश भी है, मगर वह दे नही रहा है।

इस बीच मुन्ना उर्फ अरविन्द कुमार चौरसिया ने हमारे जीवित रहते अपनी *दूसरी शादी बगैर हमारी सहमति के सुचिता खरवार पुत्री रमायन खरवार साकिन रामनगर, थाना–हजारा, जिला–पीलीभीत से कर लिया है। जिससे एक पुत्र पैदा है। ग्राम प्रधान व अस्पताल का प्रमाण–पत्र संलग्न है।*

श्रीमान् सीविल जज (जू0डी0) न्यायिक मजि0, कक्ष सं0–24 देवरिया के न्यायालय से मुन्ना उर्फ अरविन्द कुमार चौरसिया के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, जिसमें वह हाजिर होकर जमानत पर है तथा मध्यस्थता केन्द्र में सुनवाई चली, जहां वह हमारे ऊपर मुकदमें को सुलह करने का दबाव बनाता रहा, इंकार पर जान से पूरे परिवार को समाप्त करने की धमकी दिया था।

चूंकि *हिन्दू विवाह अधि0 में पहली स्त्री के जीवित रहते दूसरी स्त्री से शादी करने का अधिकार नही है,* साथ ही सरकारी नौकरी करने वाले को भी पहली स्त्री के जीवित रहते दूसरी शादी की अनुमति नही देता है।

ऐसी सूरत में मुन्ना उर्फ अरविन्द कुमार चौरसिया के विरूद्ध जांच व कार्यवाही किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

अतः निवेदन है कि मुन्ना उर्फ अरविन्द कुमार चौरसिया के विरूद्ध जाच कर कार्यवाही करने की कृपा किया जाय।

प्रार्थिनी,
मुन्नी चौरसिया
(श्रीमती मुन्नी चौरसिया)
स्त्री मुन्ना उर्फ अरविन्द कुमार चौरसिया
वर्तमान पता–विशुनपुर कला,
थाना–रामपुर कारखाना,
जिला–देवरिया।
मोबाईल नं0– 09628462663

दिनांक : 08.06.2016

मुन्नी चौरसिया